न्यायालय अवर न्यायाधीश, बलिया।

दीवानी वाद सं0 – 503/15

दिनेश कुमार सोनी–––वादी

बनाम

प्रमिला देवी वगै0––––प्रतिवादी

05/03/2021 वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। विद्वान अधिवक्ता ने पूर्व में दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन को प्रचालित किया। प्रतिवादी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। उभयपक्षों को सुना।

वादी के द्वारा दिनांक– 24/02/2021 को इस आशय का आवेदन दिया गया है कि प्रतिवादी सं0– 09, प्रतिवादी सं0– 11, प्रतिवादी सं0– 17 की मृत्यु पूर्व में हो चुँकि हैं। अतः इनका नाम हटाकर इनकी वैध वारिसानों का नाम अभिलेख पर लाया जाए। दिये हुए आवेदन के अनुसार सुमित्रा देवी पैरा– 06 में मृतक प्रतिवादियों के बगल में उनके कानूनी वारिसानों का नाम और पता दिया गया है और यह आवेदन शपथ–पत्र के साथ दाखिल है। न्यायहित में इसे स्वीकार किया जाता है। ताकि अभिलेख में आगे की प्रक्रिया की जा सके। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि मृत प्रतिवादियों का नाम हटाकर आदेशानुसार उनके वारिसानों का नमा जोड़े।

वाद दिनांक– 10/05/2021 अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, बलिया।